रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 95] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 1970/ज्यैष्ठ 5, 1892

No. 95] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 1970/JYAISTHA 5, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May 1970

No. 37/1/XI/70/T.—The following order by the President dated the 24th May, 1970, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Lok Sabha to meet at New Delhi on Monday, the 27th July, 1970 at 11 A.M.

V. V. GIRI,
President."

May 24, 1970.

लोक-सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 1970

संख्या 37/1/ग्यारह/70/दी.—राष्ट्रपति का दिनांक 24 मई, 1970 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए काशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा लोक-सभा को सोमवार, 27 जुलाई, 1970 को 11 बजे म०पू० नई दिल्ली में अधिवेशन के लिए आमंत्रित करता हूं ।

24 मई, 1970 । वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति ।"

श्यामलाल शकधर, सचिव ।